राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE *Extraordinary*
साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*

सत्यमेव जयते

श्रावण 08, शाके 1936, बुधवार, जुलाई 30, 2014
Shrawan 08, Saka 1936, Wednesday, July 30, 2014

भाग 4 (ग)

उप–खण्ड (II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य–प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, जुलाई 30, 2014

एस.ओ.103.–राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 8 की उप–धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची–1 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:–

संशोधन

उक्त अधिनियम के संलग्न अनुसूची–1 में,–

(i) क्रम संख्यांक 39 के सामने स्तंभ संख्यांक 2 में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''इस अधिनियम की अनुसूची–4 की प्रविष्टि सं. 204 और 205 में उल्लिखित माल को छोड़कर'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''अधिनियम से संलग्न किसी अन्य अनुसूची में उल्लिखित माल को छोड़कर'' तुरन्त प्रभाव से, प्रतिस्थापित की जायेगी।

(ii) विद्यमान क्रम संख्यांक 55 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर दिनांक 14.07.2014 से निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया हुआ समझा जायेगा, अर्थात्:–

''

55.	1000/– रुपये प्रति मद तक की विक्रय कीमत वाले हैण्डीक्राफ्ट, मूर्तियां, ब्लू पॉटरी और कठपुतलियां	अधिनियम की धारा 97क के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए

''

(iii) विद्यमान क्रम संख्यांक 139 और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात्, दिनांक 14.07.2014 से निम्नलिखित नया क्रम संख्यांक और उसकी

प्रविष्टियाँ जोड़ी गयी समझी जायेंगी, अर्थात्:-

"	140.	जीरा और सौंफ	अधिनियम की धारा 97क के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए	"

[सं.एफ.12(59)वित्त/कर/2014-76]
राज्यपाल के आदेश से,

(आदित्य पारीक)
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, जुलाई 30, 2014

एस.ओ.104.-राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं.4) की धारा 8 की उप-धारा (3क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची-2 में इसके द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची-2 में, विद्यमान क्रम संख्यांक 67 और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित नये क्रम संख्यांक और उनकी प्रविष्टियां जोड़ी जायेंगी, अर्थात्:-

"	68.	रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी, जो सामान्यतः विकासकर्ता / निर्माणकर्ता के रूप में जाने जाते है और जो संकर्म संविदाकार के रूप में फ्लेट्स, वासगृह या भवनों या परिसरों का संनिर्माण करते हैं और करार के अनुसरण में उन्हें माल (चाहे माल या किसी अन्य रूप में) और भूमि या भूमि में अन्तर्निहित हित के साथ अंतरित करते हैं।		
	69.	टैण्ट और उनके उपसाधन, सजावटी और प्रदर्शनीय वस्तुओं, ध्वनि प्रवर्धक और जन संबोधन प्रणाली को पट्टे पर देने में लगे हुए रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी		"

[सं.एफ.12(59)वित्त/कर/2014-77]
राज्यपाल के आदेश से,

(आदित्य पारीक)
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, जुलाई 30, 2014

एस.ओ.105.–राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 4 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची-4 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिनियम के संलग्न अनुसूची-4 में,

(i) विद्यमान क्रम संख्यांक 44 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर तुरन्त प्रभाव से निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"	44.	जैतून तेल को सम्मिलित करते हुए खाद्य तेल किन्तु 200 मि.लि. तक के छोटे कंटेनर में पैक किये हुए नारियल तेल को छोड़कर	5		"

(ii) विद्यमान क्रम संख्यांक 107 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर तुरन्त प्रभाव से निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"	107.	प्रसंस्कृत या परिरक्षित सब्जियां और फल, अचार, फल का स्क्वॉश फल का रस जब खुले में विक्रीत किया जाये, शरबत और ठण्डाई	5		"

(iii) क्रम संख्यांक 126 के सामने स्तम्भ संख्यांक 2 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "जीरा, सौंफ," दिनांक 14.07.2014 से हटायी गयी समझी जायेंगी।

(iv) क्रम संख्यांक 168 के सामने स्तम्भ संख्यांक 2 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "रुपये 60 प्रति किलोग्राम" के स्थान पर अभिव्यक्ति "रुपये 70 प्रति किलोग्राम" तुरन्त प्रभाव से प्रतिस्थापित की जायेगी।

(v) विद्यमान क्रम संख्यांक 171 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित तुरन्त प्रभाव से प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"	171.	ऐसे माल, जिसके लिए अधिनियम की धारा 6 के अधीन दर अधिसूचित की गयी है, को छोड़कर कोटा स्टोन, मार्बल और ग्रेनाइट के सभी प्रकार और रूप।	5		"

(vi) विद्यमान क्रम संख्यांक 202 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर दिनांक 14.07.2014 से निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया हुआ समझा जायेगा, अर्थात्:-

"	202.	किसी अन्य अनुसूची में वर्णित के अलावा स्नेक्स को सम्मिलित करते हुए पकाया गया भोजन और तैयार गर्म	5	अधिनियम की धारा 97क के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए

	चाय सिवाय जब तीन सितारा और इससे ऊपर के वर्गीकृत होटलों और भारत सरकार द्वारा ''क्लासिक'' और ''ग्रेंड'' प्रवर्ग के रूप में वर्गीकृत हैरिटेज होटल या राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित किसी समिति द्वारा ऊपर वर्णित प्रवर्गों के समतुल्य वर्गीकृत किये गये होटल और हैरिटेज होटल में विक्रीत किया जाये		

''

(vii) विद्यमान क्रम संख्यांक 203 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर दिनांक 14.07.2014 से निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया हुआ समझा जायेगा, अर्थात्:-

''	203.	1000/- रू. प्रति मद से अधिक विक्रय मूल्य वाले हैण्डीक्राफ्ट, मूर्तियां, ब्लू पॉटरी और कठपुतलियां	5	अधिनियम की धारा 97क के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए

''

(viii) विद्यमान क्रम संख्यांक 205 और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित नये क्रम संख्यांक और उनकी प्रविष्टियां तुरन्त प्रभाव से जोड़ी जायेंगी, अर्थात्:-

''	206.	इम्प्रेगनेटेड, कोटेड, कवर्ड या प्लास्टिक के साथ लेमिनेटेड टैक्सटाईल फैब्रिक्स, पीवीसी लेदर क्लोथ, सिन्थेटिक लेदर	5	
	207.	नायलोन की उच्च टेनेसिटी यार्न या अन्य पोलिमाईड्स, पोलिएस्टर या विसकोस रेयन का टायर कोर्ड फैब्रिक	5	
	208.	कपासिया खल को छोड़ते हुए सभी प्रकार की खल	5	

''

[सं.एफ.12(59)वित्त/कर/2014-78]
राज्यपाल के आदेश से,

(आदित्य पारीक)
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, जुलाई 30, 2014

एस.ओ.106.-राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 4 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची-5 में तुरन्त प्रभाव से इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिनियम के संलग्न अनुसूची-5 में,

(i) विद्यमान क्रम संख्यांक 7 और उसकी प्रविष्टियां, 14.07.2014 से हटायी गयी समझी जायेगी।

(ii) विद्यमान क्रम संख्यांक 8 और उसकी प्रविष्टियां, 14.07.2014 से हटायी गयी समझी जायेगी।

(iii) क्रम संख्यांक 16 के सामने स्तंभ संख्या 2 में, विद्यमान मद (vi) के स्थान पर तुरन्त प्रभाव से निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

" (vi) कॉफी ड्रिंक हाट और कोल्ड, इन्स्टैन्ट कॉफी, ऐस्प्रेसों कॉफी, आइस टी, मिल्क शेक, थिक-शेक्स, आईसक्रीम शेक्स, पैक किया हुआ फ्लेवर्ड मिल्क, पैक किया हुआ फ्रूट ड्रिंक, पैक किया हुआ फ्रूट ज्यूस को सम्मिलित करते हुए पेय (किसी अन्य अनुसूची में विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित पेयों को छोड़कर) "

(iv) क्रम संख्यांक 16 के सामने स्तंभ संख्यांक 2 में, विद्यमान मद सं. (xiv) के स्थान पर तुरन्त प्रभाव से निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

" (xiv) टमाटर प्यूरी, केचअप, सभी रूपों और किस्मों में सॉस, फ्रूट जैम, जैली। "

(v) क्रम संख्यांक 16 के सामने स्तंभ संख्यांक 2 में, विद्यमान मद सं. (xvii) और उसकी प्रविष्टियां 14.07.2014 से हटायी गयी समझी जायेगी।

(vi) क्रम संख्यांक 40 के सामने स्तंभ संख्यांक 2 में, विद्यमान मद संख्या (ii) के स्थान पर 14.07.2014 से निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया गया समझा जायेगा।

" (ii) पैकिंग मैटेरियल को छोडकर फोम या प्लास्टिक फोम या किसी अन्य सिन्थेटिक फोम से निर्मित सभी प्रकार की शीट्स और उनसे निर्मित वस्तुएँ "

(vii) क्रम संख्यांक 53 के सामने स्तंभ संख्या 2 में, विद्यमान मद संख्या (iii) के स्थान पर 14.07.2014 से निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया गया समझा जायेगा।

" (iii) लिनोलियम और लेमिनेटेड शीट्स जैसे सनमाईका, फोरमाईका, डेकोलेम और उसके जैसी। "

(viii) विद्यमान क्रम संख्यांक 59 और उसकी प्रविष्टियां 14.07.2014 से हटायी गयी समझी जायेगी।

(ix) क्रम संख्यांक 67 के सामने स्तंभ संख्या 2 में, विद्यमान मद संख्यांक (iii) के स्थान पर तुरन्त प्रभाव से निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

" (iii) बादाम तेल, आँवला तेल, चंदन तेल और अन्य तेल जैसे कियो कार्पिन, हेयर एण्ड केयर, डाबर-वाटिका को सम्मिलित करते हुए हेयर ऑयल और उनके औषधियुक्त "

	और एन्टीसेप्टिक प्रिपरेशन चाहे वह ऐलोपेथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपेथिक या यूनानी हो; 200 मि.ली. तक छोटे पात्रों में पैक किये गये नारियल तेल।			

(x) विद्यमान क्रम संख्यांक 69 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर 14.07.2014 से निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया गया समझा जायेगा, अर्थात्:-

"	69.	सोलर और एलईडी टॉर्च को छोड़कर टॉर्च लाईट व उसके बल्ब	14		"

(xi) विद्यमान क्रम संख्यांक 78 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर तुरन्त प्रभाव से निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"	78.	अधिनियम से संलग्न किसी अन्य अनुसूची में या अधिनियम की धारा 6 के अधीन जारी किसी अन्य अधिसूचना के अन्तर्गत नहीं आने वाला माल।	14		"

[सं.एफ.12(59)वित्त/कर/2014-79]
राज्यपाल के आदेश से,

(आदित्य पारीक)
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, जुलाई 30, 2014

एस.ओ.107.-राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 17क के साथ पठित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ.12(59)एफ.डी./टैक्स/2014-18 दिनांक 14.07.2014, में तुरन्त प्रभाव से, इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

(i) सारणी में विद्यमान क्रम संख्यांक 6 और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित नया क्रम संख्यांक और उसकी प्रविष्टियां जोड़ी जायेंगी, अर्थात्:-

"

7.	टैन्ट और उनके उपसाधन, सजावटी और प्रदर्शनीय वस्तुएं, ध्वनि प्रवर्धक और जन संबोधन प्रणाली को पट्टे पर देने में लगे हुए रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी।	इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए सुसंगत कालावधि में स्तंभ संख्यांक 2 में वर्णित माल के पण्यावर्त के प्रत्येक दो लाख रुपये या उसके भाग के लिए पांच सौ रुपये कि ऐसा व्यवहारी स्तंभ संख्यांक 2 में वर्णित कराधेय माल का क्रय राज्य के रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी से करेगा। व्यवहारी 01.04.2014 से कर के बदले एकमुश्त राशि के संदाय के विकल्प का प्रयोग कर सकेगा।

"

(ii) विद्यमान सारणी के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"**स्पष्टीकरणः-** सुसंगत कालावधि से सुसंगत कर कालावधि अभिप्रेत है।"

[सं.एफ.12(59)वित्त/कर/2014-80]
राज्यपाल के आदेश से,

(आदित्य पारीक)
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, जुलाई 30, 2014

एस.ओ.108.-राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं.4) की धारा 5 की द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की समय-समय पर यथा-संशोधित अधिसूचना सं. एफ.12 (28) एफ.डी./ टैक्स/2007/145 दिनांक 09.03.2007 में इसके द्वारा दिनांक 14.07.2014 से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना के खण्ड 5.04 में, विद्यमान परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु यह और कि जहां व्यवहारी जिसने स्कीम के लिए विकल्प दिया है और स्कीम के अधीन विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्रशमन रकम, ब्याज या विलम्ब फीस का निक्षेप करने में विफल रहा है, ऐसे व्यवहारी को इस स्कीम का फायदा लेने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा-

(i) यदि 31.03.2011 के पश्चात् की कालावधि के लिए स्कीम के अधीन विनिर्दिष्ट प्रशमन रकम और विलम्ब फीस उसके द्वारा 31.05.2014 के पूर्व निक्षिप्त करा दी गयी है और यदि वह प्रशमन रकम, जिसका

विलम्ब से निक्षेप किया गया है, के 75 प्रतिशत के समतुल्य रकम का 31.08.2014 तक विलम्ब फीस के रूप में निक्षेप करता है; या

(ii) यदि 31.03.2011 के पश्चात् की कालावधि के लिये स्कीम के अधीन विनिर्दिष्ट प्रशमन रकम का उसके द्वारा निक्षेप करा दिया गया है किन्तु विलम्ब फीस का 31.05.2014 के पूर्व निक्षेप नहीं कराया गया है, यदि वह प्रशमन रकम, जिसका विलम्ब से निक्षेप किया गया है, के 100 प्रतिशत के समतुल्य रकम का 31.08.2014 तक विलम्ब फीस के रूप में निक्षेप करता हैं; या

(iii) अन्य समस्त व्यवहारियों के लिये, यदि वे प्रशमन रकम और शोध्य प्रशमन रकम, जिसका विलम्ब से निक्षेप किया गया है, के 200 प्रतिशत के समतुल्य रकम का 31.08.2014 तक विलम्ब फीस के रूप में निक्षेप करते है।"

[सं.एफ.12(59)वित्त/कर/2014-81]
राज्यपाल के आदेश से,

(आदित्य पारीक)
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, जुलाई 30, 2014

एस.ओ.109.-राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना सं. प.12(59)वित्त/कर/2014-21 दिनांक 14.07.2014 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, तुरन्त प्रभाव से, नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ संख्यांक 2 में वर्णित माल के वर्ग के लिए स्तम्भ संख्यांक 3 में यथावर्णित उक्त अधिनियम के अधीन संदेय कर की रकम इसके द्वारा नियत करती हैः-

सारणी

भाग-क

मद सं.	माल का विवरण		संदेय कर (रूपयों में)
	पत्थरों की किस्म	आकार	
1	2		3
1.	सभी प्रकार के मार्बल	एक वर्गफुट से कम की टाइल्स	0.40 प्रति वर्गफुट
		2फुट तक चौड़ाई और 3.5 फुट तक लम्बाई का टप्पा/लीरा	0.75 प्रति वर्गफुट

भाग-ख (उपर्युक्त भाग-क में वर्णित माल से भिन्न)

मद सं.	माल का विवरण		संदेय कर (रूपयों में)
	पत्थरों की किस्म	स्लैब/टाइल्स का आकार	
1	2		3
1.	मकराना मार्बल सफेद-I	लम्बाई 1 फुट से 2 फुट	6.00 प्रति वर्गफुट
		लम्बाई 2 फुट से अधिक और 7 फुट तक	11.00 प्रति वर्गफुट
		लम्बाई 7 फुट से अधिक	20.00 प्रति वर्गफुट
2.	मकराना मार्बल सफेद-II	लम्बाई 1 फुट से 2 फुट	2.40 प्रति वर्गफुट
		लम्बाई 2 फुट से अधिक और 7 फुट तक	3.10 प्रति वर्गफुट
		लम्बाई 7 फुट से अधिक	4.50 प्रति वर्गफुट
3.	मकराना अलबेटा	लम्बाई 1 फुट से 2 फुट	3.10 प्रति वर्गफुट
		लम्बाई 2 फुट से अधिक और 7 फुट तक	3.50 प्रति वर्गफुट
		लम्बाई 7 फुट से अधिक	6.50 प्रति वर्गफुट
4.	मकराना सेमी अलबेटा	लम्बाई 1 फुट से 2 फुट	2.50 प्रति वर्गफुट
		लम्बाई 2 फुट से अधिक और 7 फुट तक	2.80 प्रति वर्गफुट
		लम्बाई 7 फुट से अधिक	3.60 प्रति वर्गफुट
5.	मकराना अड़ंगा/ डूंगरी/पिंक	लम्बाई 1 फुट से 2 फुट	1.25 प्रति वर्गफुट
		लम्बाई 2 फुट से अधिक और 7 फुट तक	1.70 प्रति वर्गफुट
		लम्बाई 7 फुट से अधिक	2.10 प्रति वर्गफुट
6.	मकराना सफेद बेस अड़ंगा	लम्बाई 1 फुट से 2 फुट	1.60 प्रति वर्गफुट
		लम्बाई 2 फुट से अधिक और 7 फुट तक	2.60 प्रति वर्गफुट
		लम्बाई 7 फुट से अधिक	3.40 प्रति वर्गफुट
7.	मकराना कुमारी एवरेज	लम्बाई 1 फुट से 2 फुट	0.65 प्रति वर्गफुट
		लम्बाई 2 फुट से अधिक और 7 फुट तक	0.95 प्रति वर्गफुट
		लम्बाई 7 फुट से अधिक	1.10 प्रति वर्गफुट
8.	मकराना कुमारी सफेद बेस	लम्बाई 1 फुट से 2 फुट	0.85 प्रति वर्गफुट
		लम्बाई 2 फुट से अधिक और 7 फुट तक	1.30 प्रति वर्गफुट
		लम्बाई 7 फुट से अधिक	1.40 प्रति वर्गफुट
9.	राजसमन्द / मोरवाड़ / अगारिया मार्बल ग्रेड ए	लम्बाई 2 फुट तक	1.30 प्रति वर्गफुट
		लम्बाई 2 फुट से अधिक	2.10 प्रति वर्गफुट
10.	राजसमन्द / मोरवाड़ / अगारिया मार्बल ग्रेड बी	लम्बाई 2 फुट तक	0.90 प्रति वर्गफुट
		लम्बाई 2 फुट से अधिक	1.45 प्रति वर्गफुट

11.	राजसमन्द/ मोरवाड़ / अगारिया मार्बल ग्रेड सी धरमेटा/बानी/सपोल /केकड़ी/सावर, आंधी पिस्ता, आबू अड़ंगा, आबू ग्रीन और व्हाईट, बीडासर, उदयपुर ग्रीन और पिंक मार्बल, ब्लैक, आसपुर चैलो पिंक, भैंसलाना, रामपुरा, कायमपुरा, छापोली, खंडेला, सलवाड़ा, पालोदा और बांसवाड़ा मार्बल		लम्बाई 2 फुट तक	0.75 प्रति वर्गफुट
			लम्बाई 2 फुट से अधिक	1.10 प्रति वर्गफुट
12.	कटनी, मजोली, वन्डर और ओमान रेड मार्बल ग्रेड ए		लम्बाई 2 फुट तक	1.70 प्रति वर्गफुट
			लम्बाई 2 फुट से अधिक	2.00 प्रति वर्गफुट
13.	कटनी, मजोली, वन्डर और ओमान रेड मार्बल ग्रेड बी		लम्बाई 2 फुट तक	1.50 प्रति वर्गफुट
			लम्बाई 2 फुट से अधिक	1.75 प्रति वर्गफुट
14.	आयातित मार्बल	इटालियन सतवारिया	सभी आकार के	60.00 प्रति वर्गफुट
		इटालियन सतवारिया से भिन्न	सभी आकार के	9.00 प्रति वर्गफुट
15.	सभी प्रकार के अन्य मार्बल जो इसमें विनिर्दिष्ट नहीं हैं।		1 वर्गफुट से अधिक	1.30 प्रति वर्गफुट
16.	सभी प्रकार के ग्रेनाइट		लम्बाई 2 फुट तक	1.80 प्रति वर्गफुट
17.	ग्रेनाइट जैसलमेर (लाखा रेड)/ग्रेनाइट साउथ इण्डियन		लम्बाई 2 फुट से अधिक	4.50 प्रति वर्गफुट
18.	ग्रेनाइट जालौर / देवगढ़ और अन्य		लम्बाई 2 फुट से अधिक	3.25 प्रति वर्गफुट

टिप्पणी :-

1. इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए टाईल्स से 2 फुट तक की लम्बाई के पत्थर और स्लैब से 2 फुट से अधिक लम्बाई के पत्थर अभिप्रेत है।
2. मार्बल के आकार के माप में कठिनाई की दशा में, कर की रकम टाईल के लिए 5 किलोग्राम प्रति वर्गफुट और स्लैब के लिए 6 किलोग्राम प्रति वर्गफुट के फैक्टर का उपयोग करते हुए, वजन का माप करने के पश्चात् और इसे क्षेत्रफल में संपरिवर्तित कर संगणित की जा सकेगी।
3. ग्रेनाइट के आकार के माप में कठिनाई की दशा में, कर की रकम स्लैब के लिए 7 किलोग्राम प्रति वर्गफुट के फैक्टर का उपयोग करते हुए, वजन का माप करने के पश्चात् और क्षेत्रफल में संपरिवर्तित कर संगणित की जा सकेगी।

[सं.एफ.12(59)वित्त/कर/2014-82]
राज्यपाल के आदेश से,

(आदित्य पारीक)
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, जुलाई 30, 2014

एस.ओ.110.–राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 8 की उप-धारा द्वारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यवहारियों, जो सामान्यतः विकासकर्ता / निर्माणकर्ता के रूप में जाने जाते हैं और जो संकर्म संविदाकार के रूप में फ्लैट्स, वासगृह या भवनों या परिसरों का संनिर्माण करते हैं और करार के अनुसरण में उन्हें माल (चाहे माल के रूप में या किसी अन्य रूप में) और भूमि या भूमि में अन्तर्निहित हित के साथ अंतरित करते है, द्वारा फ्लैटों, वासगृहों या भवनों या अन्य परिसरों के संनिर्माण के लिए उनके द्वारा किये गये करार के संबंध में 31.03.2014 तक प्राप्त प्रतिफल की रकम पर, संदेय कर से इसके द्वारा छूट देती है।

[सं.एफ.12(59)वित्त/कर/2014-83]
राज्यपाल के आदेश से,

(आदित्य पारीक)
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, जुलाई 30, 2014

एस.ओ.111.–राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं.4) की धारा 8 की उप-धारा द्वारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, टैन्ट और उनके उपसाधन, सजावटी और प्रदर्शनीय वस्तुओं, ध्वनि प्रवर्धक और जन संबोधन प्रणाली को पट्टे पर देने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी, जिसे इसमें इसके पश्चात् "टैन्ट व्यवहारी" कहा गया है, जिसने अधिसूचना सं. एफ. 12(25)एफडी/टैक्स/11-164 दिनांक 15.03.2011, जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है, द्वारा जारी रजिस्ट्रीकृत टैन्ट व्यवहारियों के लिए प्रशमन स्कीम, 2011 के अधीन उनके कर दायित्व के बदले में प्रशमन रकम का संदाय करने के लिए विकल्प दिया है, को 01.04.2012 से 31.03.2014 तक की कालावधि के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, कर के संदाय से इसके द्वारा छूट प्रदान करती है, अर्थात्:-

1. यह कि ऐसा व्यवहारी इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गयी छूट फीस का निक्षेप 31.08.2014 तक करेगा; और
2. यह कि छूट फीस स्तंभ संख्यांक 2 में यथा-वर्णित दर पर टैन्ट व्यवहारियों द्वारा नीचे दी गयी सारणी के स्तंभ संख्यांक 3 में वर्णित परिस्थितियों में संदत्त की जायेगी, अर्थात् :-

सारणी

क्र. सं.	छूट फीस	परिस्थितियां
1	2	3
1.	ऊपर वर्णित माल के पण्यावर्त के प्रत्येक दो लाख रुपये या उसके भाग के लिए पांच सौ रुपये	यदि स्तंभ संख्यांक 2 में यथा-वर्णित रकम ऐसे व्यवहारियों द्वारा उक्त अधिसूचना में विहित रीति में और समय के भीतर निक्षिप्त करा दी गयी है।
2.	ऊपर वर्णित माल के पण्यावर्त के प्रत्येक दो लाख रुपये या उसके भाग के लिए पांच सौ रुपये	यदि व्यवहारी उक्त अधिसूचना में विहित समय के भीतर क्र.सं. 1 के स्तंभ संख्यांक 2 में यथा-वर्णित रकम का निक्षेप करने में विफल रहा है किन्तु उक्त अधिसूचना में यथा-उपबंधित ब्याज और विलम्ब फीस के साथ उक्त रकम उक्त अधिसूचना में विहित रीति में और समय के भीतर निक्षिप्त करा दी है।
3.	ऊपर वर्णित माल के पण्यावर्त के प्रत्येक दो लाख रुपये या उसके भाग के लिए सात सौ पचास रुपये	यदि व्यवहारी उक्त अधिसूचना में विहित समय के भीतर क्र.सं. 1 के स्तंभ संख्यांक 2 में यथा-वर्णित रकम का निक्षेप करने में विफल रहा है किन्तु उक्त अधिसूचना में यथा-उपबंधित ब्याज और विलम्ब फीस के साथ उक्त रकम दिनांक 31.05.2014 तक निक्षिप्त करा दी गयी है।
4.	ऊपर वर्णित माल के पण्यावर्त के प्रत्येक दो लाख रुपये या उसके भाग के लिए एक हजार रुपये	यदि व्यवहारी उक्त अधिसूचना में विहित समय के भीतर क्र.सं. 1 के स्तंभ संख्यांक 2 में यथा-वर्णित रकम का निक्षेप करने में विफल रहा है, और 31.05.2014 तक ब्याज के साथ उक्त रकम निक्षिप्त करा दी है किन्तु उक्त अधिसूचना में यथा-उपबंधित विलम्ब फीस का निक्षेप करने में विफल रहा है।
5.	रकम, जो उक्त अधिसूचना में विहित रीति में और समय के भीतर निक्षिप्त नहीं करायी गयी है, पर उद्ग्रहणीय ब्याज की रकम के समतुल्य रकम के साथ ऊपर वर्णित माल के पण्यावर्त के प्रत्येक दो लाख या उसके भाग के लिए दो हजार पांच सौ रुपये	यदि व्यवहारी 31.05.2014 तक ब्याज और विलम्ब फीस के साथ क्र.सं.1 के स्तंभ संख्यांक 2 में यथा-वर्णित रकम का निक्षेप करने में विफल रहा है।

[सं.एफ.12(59)वित्त/कर/2014-84]
राज्यपाल के आदेश से,

(आदित्य पारीक)
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, जुलाई 30, 2014

एस.ओ.112.–राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम सं. 13) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. एफ.12(59) एफ.डी./ टैक्स/ 2014-32 दिनांक 14.07.2014 में तुरन्त प्रभाव से इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना से संलग्न सूची में,-

(i) क्रम संख्यांक 11 के सामने स्तंभ संख्यांक 2 में,-

(क) विद्यमान अभिव्यक्ति "(जिसमें टोल्यूईन, प्रोपेन, ब्यूटाईलीन, ब्यूटाडाइन, ऐथेलीन, ऑक्सीलीन, मिक्स-जाइलीन, बेनजीन सम्मिलित है)" के स्थान पर अभिव्यक्ति "(जिसमें प्रोपेन, बूटाइलीन, बूटाडाइन, ऐथेलीन, ऑक्सीलीन, सम्मिलित है)" प्रतिस्थापित की जायेगी।

(ख) विद्यमान अभिव्यक्ति "किसी भी रूप में पेट्रोलियम कोक, मिनरल तारपीन तेल, हैवी एल्केलेट" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पेट्रोलियम कोक किसी भी रूप में, हैवी एल्केलेट" प्रतिस्थापित की जायेगी।

(ii) विद्यमान क्रम संख्यांक 56 और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित नये क्रम संख्यांक और उनकी प्रविष्टियां जोड़ी जायेंगी, अर्थात्:-

"

57.	टोल्यूईन, मिक्स-जाइलीन, बेनजीन और मिनरल तारपीन तेल	5
58.	नॉन-वुवन फैब्रिक्स, इम्प्रेगनेटेड, कोटेड, कवर्ड या प्लास्टिक के साथ लेमिनेटेड टैक्सटाईल फैब्रिक्स, पीवीसी लेदर क्लोथ, सिन्थेटिक लेदर	5

"

[सं.एफ.12(59)वित्त/कर/2014-85]
राज्यपाल के आदेश से,

(आदित्य पारीक)
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, जुलाई 30, 2014

एस.ओ.113.–राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम सं. 13) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, स्टेनलैस स्टील शीट्स, सर्किल और बर्तनों के विनिर्माण के लिए कच्ची सामग्री के रूप में प्रयुक्त किये जाने के लिए स्थानीय क्षेत्र में लाये गये स्टेनलैस स्टील फ्लैट्स

पर, उस सीमा तक जिस तक कर की दर 0.5 प्रतिशत से अधिक हो, उक्त अधिनियम के अधीन संदेय कर से स्टेनलैस स्टील शीट्स, सर्किल और बर्तनों के विनिर्माताओं को दिनांक 14.07.2014 से इसके द्वारा छूट देती है।

[सं.एफ.12(59)वित्त/कर/2014-86]
राज्यपाल के आदेश से,

(आदित्य पारीक)
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, जुलाई 30, 2014

एस.ओ.114.-राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम सं. 13) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, समय-समय पर यथा संशोधित इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ. 12(59)एफडी/टैक्स/2014-33 दिनांक 14.07.2014 में तुरन्त प्रभाव से इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना से संलग्न सूची में,-

(i) क्रम संख्यांक 10 के सामने स्तंभ संख्यांक 2 में,-

(क) विद्यमान अभिव्यक्ति "(जिसमें टोल्यूईन, प्रोपेन, ब्यूटाईलीन, ब्यूटाडाइन, ऐथेलीन, ऑक्सीलीन, मिक्स-जाइलीन, बेनजीन सम्मिलित है)" के स्थान पर अभिव्यक्ति "(जिसमें प्रोपेन, बूटाइलीन, बूटाडाइन, ऐथेलीन, ऑक्सीलीन, सम्मिलित है)" प्रतिस्थापित की जायेगी।

(ख) विद्यमान अभिव्यक्ति "किसी भी रूप में पेट्रोलियम को मिनरल तारपीन तेल, हैवी एल्केलेट" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पेट्रोलियम कोक किसी भी रूप में, हैवी एल्केलेट" प्रतिस्थापित की जायेगी।

(ii) विद्यमान क्रम संख्यांक 54 और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित नये क्रम संख्यांक और उनकी प्रविष्टियां जोड़ी जायेंगी, अर्थात्:-

"

55.	टोल्यूईन, मिक्स-जाइलीन, बेनजीन, मिनरल तारपीन तेल
56.	नॉन-वुवन फैब्रिक्स, इम्प्रेगनेटेड, कोटेड, कवर्ड या प्लास्टिक के साथ लेमिनेटेड टैक्सटाईल फैब्रिक्स, पीवीसी लेदर क्लोथ, सिन्थेटिक लेदर

"

[सं.एफ.12(59)वित्त/कर/2014-87]
राज्यपाल के आदेश से,

(आदित्य पारीक)
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, जुलाई 30, 2014

एस.ओ.115.–राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 (1957 का अधिनियम सं. 24) की धारा 7 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना सं. प.24(1) एफडी / टैक्स /09-97 दिनांक 27.02.2009 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि ऐसा करने के युक्तियुक्त आधार विद्यमान हैं, राजस्थानी भाषा की फिल्मों के प्रदर्शन पर उक्त अधिनियम के अधीन संदेय कर का, इसके द्वारा परिहार करती है।

स्पष्टीकरणः– राजस्थानी भाषा की फिल्म से राज्य के किसी भी भाग में सामान्यतः बोली जाने वाली किसी भी बोली में निर्मित कोई फिल्म अभिप्रेत है।

यह दिनांक 01.08.2014 से प्रवृत होगी।

[सं.एफ.12(59)वित्त/कर/2014-88]
राज्यपाल के आदेश से,

(आदित्य पारीक)
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, जुलाई 30, 2014

एस.ओ.116.–राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 (1957 का अधिनियम सं. 24) की धारा 18 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर नियम, 1957 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, और उक्त धारा की उप-धारा (4) के परन्तुक के प्रतिनिर्देश से आदेश देती है कि इन संशोधन नियमों के पूर्व प्रकाशन से अभिमुक्ति प्रदान की जाये क्योंकि राज्य सरकार का विचार है कि इन्हें तुरन्त प्रवृत्त किया जाना चाहिए, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.– (1) इन नियमों का नाम राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर (द्वितीय संशोधन) नियम, 2014 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 2 का संशोधन.– राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर नियम, 1957, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 2 में,-

(i) विद्यमान खण्ड (ii) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (iii) के पूर्व निम्नलिखित नये खण्ड (iiक) और (iiख) अन्तःस्थापित किये जायेंगे, अर्थात्:-

"(iiक) "मल्टीप्लेक्स" से किसी एकल कॉम्प्लेक्स के भीतर बहु स्क्रीनों के साथ मूवी थियेटर कॉम्प्लेक्स अभिप्रेत है।

(iiख) "बहुल-प्रणाली केबल टेलीविजन नेटवर्क" से मल्टी-चैनल डाउन लिंकिग के लिए कोई प्रणाली और बहु अभिदाताओं द्वारा चाहे या तो सीधे ही या एक या अधिक स्थानीय केबल आपरेटरों के माध्यम से एक ही समय में ग्रहण करने हेतु, वायर्ड केबिल या वायरलैस केबिल या दोनों के संयोजन का उपयोग करके भूमि आधारित पारेषण प्रणाली द्वारा टेलीविजन कार्यक्रमों का वितरण अभिप्रेत है।"

(ii) विद्यमान खण्ड (vi) के पश्चात्, निम्नलिखित नया खण्ड (vii) जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"(vii) "वीडियो गेम पार्लर" से मनोरंजन का ऐसा कोई स्थान अभिप्रेत है जहां व्यक्तियों से उसमें लगी हुई किसी ऐसी मशीन को चलाने के प्रयोजनार्थ, जो इलेक्ट्रोनिक रूप से या मैकेनिकल रूप से या इलेक्ट्रो मैकेनिकल रूप से संचालित होती है, कोई संदाय किया जाना अपेक्षित है।"

3. नियम 6क का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 6क कें, विद्यमान उप-नियम (iv) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(iv) प्रत्येक टिकिट क्रमानुसार मुद्रित किया जायेगा और अप्रतिरूपतः संख्यांकित होगा।"

4. नियम 15 का प्रतिस्थापन.- उक्त नियमों के विद्यमान नियम 15 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"15. प्रतिभूति.- (1) नीचे दी गयी सारणी के स्तंभ संख्यांक 2 में वर्णित वर्ग के स्वत्वधारी उक्त सारणी में ऐसे वर्ग के सामने स्तंभ संख्यांक 3 में वर्णित रकम राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में या राष्ट्रीयकृत बैंक की एक वर्ष की बैंक गारंटी के रूप में प्रतिभूति प्रस्तुत करेंगे जो प्रतिवर्ष उसकी समाप्ति से पूर्व नवीकृत की जायेगीः

सारणी

क्र. सं.	**स्वत्वधारियों के वर्ग**	**प्रतिभूति की रकम (रूपयों में)**
1	2	3
1.	किसी सिनेमाहाल में किसी भी माध्यम से फिल्म के प्रर्दशन द्वारा मनोरंजन के स्वत्वधारी।	प्रति सिनेमाहाल बीस हजार
2.	मल्टीप्लेक्स में किसी भी माध्यम से फिल्म के प्रदर्शन द्वारा मनोरंजन के स्वत्वधारी	प्रति मल्टीप्लेक्स पचास हजार
3.	वीडियो गेम पार्लर के स्वत्वधारी	प्रति पार्लर पांच हजार
4.	डायरेक्ट टू होम प्रसारण सेवा के स्वत्वधारी	पांच लाख
5.	संबोधन प्रणाली या अन्यथा के साथ केबल सेवा के स्वत्वधारी	बीस हजार

(2) प्रतिभूति की रकम, पूववर्ती मास में संदेय कर की रकम तक की किसी रकम तक विहित प्राधिकारी द्वारा कारण अभिलिखित करते हुए बढ़ायी जा सकेगी।

(3) विहित प्राधिकारी अधिनियम के अधीन स्वत्वधारी द्वारा संदेय कर, शास्ति, ब्याज या किसी मांग की किसी रकम को वसूल करने के लिए प्रस्तुत की गयी सम्पूर्ण प्रतिभूति या उसके किसी भाग को लिखित में आदेश द्वारा समपहृत कर सकेगा।"

5. नियम 15ख का हटाया जाना.– उक्त नियमों का विद्यमान नियम 15ख हटाया जायेगा।

6. नियम 17 का प्रतिस्थापन.– उक्त नियमों के विद्यमान नियम 17 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

"17. मनोरंजन संचालित करने की अनुज्ञा का प्राप्त किया जाना.– (1) किसी मनोरंजन का स्वत्वधारी, 15 अगस्त, 2014 तक या मनोरंजन संचालित करने की तारीख से कम से कम 15 दिन पूर्व, इनमें से जो भी बाद में हो, नीचे दी गयी सारणी में यथा वर्णित प्राधिकारी को प्ररूप-थ में एक आवेदन करेगा।

सारणी

स्वत्वधारियों के वर्ग	प्राधिकारी
1.	2.
किसी सिनेमाहाल या मल्टीप्लेक्स में किसी माध्यम से फिल्म के प्रदर्शन द्वारा मनोरंजन के स्वत्वधारी/ वीडियो गेम पार्लर के स्वत्वधारी	उस क्षेत्र का सहायक आयुक्त / वाणिज्यिक कर अधिकारी जहां ऐसा मनोरंजन का स्थान अवस्थित है
डायरेक्ट टू होम प्रसारण सेवा के स्वत्वधारी/ संबोधन प्रणाली या अन्यथा के साथ किसी केबल सेवा के स्वत्वधारी	उस क्षेत्र का सहायक आयुक्त / वाणिज्यिक कर अधिकारी जहां उसके कारबार का मुख्य स्थान अवस्थित है

(2) स्वत्वधारी, निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ, सम्यक् रूप में हस्ताक्षरित प्ररूप-थ में आवेदन प्रस्तुत करेगा, अर्थात्:–

(i) स्वत्वधारी का हस्ताक्षरित फोटो;

(ii) मनोरंजन उपलब्ध कराने के लिए अपेक्षित रजिस्ट्रीकरण / अनुज्ञप्ति/ अनुज्ञा की प्रति;

(iii) स्वत्वधारी को आयकर विभाग द्वारा आवंटित स्थायी खाता संख्या की प्रति;

(iv) प्रस्तुत किये जाने के लिए अपेक्षित प्रतिभूति; और

(v) सम्यक् रूप से निरस्त किया हुआ निरंक चैक।"

7. नियम 18 का प्रतिस्थापन.– उक्त नियमों के विद्यमान नियम 18 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

"18. कर या अन्य राशि के संदाय की रीति.– (1) जब तक कि राज्य सरकार द्वारा अन्यथा अधिसूचित न किया जाये, कर या अन्य राशि का संदाय किसी स्वत्वधारी द्वारा इलेक्ट्रोनिक सरकारी प्राप्ति लेखा प्रणाली, जिसे इसमें इसके पश्चात् 'ई-ग्रास' के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के माध्यम से उसमें उपबंधित रीति में, इलेक्ट्रोनिक रूप में किया जायेगा।

(2) कर, मांग या अन्य राशि के संदाय की तारीख, जैसी ई-ग्रास में दर्शित है, निक्षेप की तारीख समझी जायेगी।

(3) मनोरंजन कर नीचे दी गयी सारणी के स्तंभ संख्यांक 2 में विनिर्दिष्ट स्वत्वधारियों के वर्ग द्वारा, उक्त सारणी के स्तंभ संख्यांक 3 में प्रत्येक के सामने यथा विनिर्दिष्ट अन्तरालों पर संदेय होगा।

सारणी

क्र. सं.	**स्वत्वधारियों के वर्ग**	**कर के संदाय के लिए अन्तराल**
1.	**2.**	**3.**
1.	(i) किसी सिनेमाहाल या मल्टीप्लेक्स में किसी माध्यम से फिल्म के प्रदर्शन द्वारा मनोरंजन के स्वत्वधारी	(i) मास के प्रथम दिन से दसवें दिन तक की कालावधि के लिए संदेय कर की रकम मास के पन्द्रहवें दिन तक संदत की जायेगी।
	(ii) डायरेक्ट टू होम प्रसारण सेवा के स्वत्वधारी	(ii) मास के ग्यारहवें दिन से बीसवें दिन तक की कालावधि के लिए संदेय कर की रकम मास के पच्चीसवें दिन तक संदत की जायेगी।
	(iii) संबोधन प्रणाली या अन्यथा के साथ किसी केबल सेवा के स्वत्वधारी	(iii) मास के इक्कीसवें दिन से मास के अन्तिम दिन की कालावधि के लिए संदेय कर की रकम, मास की समाप्ति से पांच दिन के भीतर संदत की जायेगी।
2.	वीडियो गेम पार्लर के स्वत्वधारी	मासिक रूप से प्रत्येक कलैण्डर मास की समाप्ति से 14 दिन के भीतर

(4) कर का संदाय स्वत्वधारी द्वारा किया जायेगा और संबोधन प्रणाली के साथ केबल सेवा की दशा में या अन्यथा, यह केबल टेलीविजन नेटवर्क्स (विनियमन) अधिनियम, 1995 के अधीन ऐसे रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी द्वारा किया जायेगा जो बहु अभिदाताओं को कोई केबल टेलीविजन सेवा उपलब्ध कराने के लिए किसी बहु-प्रणाली केबल टेलीविजन नेटवर्क का प्रबंध और संचालन करता है जिसमें दूरसंचार और इन्टरनेट को सम्मिलित करते हुए अन्य मूल्य परिवर्धित सेवाएं सम्मिलित हो सकेंगी या नहीं हो सकेंगी।"

8. नियम 18क का प्रतिस्थापन.- उक्त नियमों के विद्यमान नियम 18क के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"18क विवरणियां.- (1) अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (3) में निर्दिष्ट विवरणियां, नीचे दी गयी सारणी में ऐसे वर्ग के सामने स्तंभ संख्यांक 3 में यथा विनिर्दिष्ट प्ररूप में स्तंभ संख्यांक 2 में यथा विनिर्दिष्ट वर्ग के स्वत्वधारियों द्वारा विहित प्राधिकारी को मास की समाप्ति से चौदह दिन के भीतर मासिक रूप से प्रस्तुत की जायेंगी:

सारणी

क्र.सं.	स्वत्वधारियों के वर्ग	विहित प्ररूप
1.	2.	3.
1.	किसी सिनेमाहाल या मल्टीप्लेक्स में किसी माध्यम से फिल्म के प्रदर्शन द्वारा मनोरंजन के स्वत्वधारी	प्ररूप-च
2.	वीडियो गेम पार्लर के स्वत्वधारी / डायरेक्ट टू होम प्रसारण सेवा के स्वत्वधारी / संबोधन प्रणाली या अन्यथा के साथ किसी केबल सेवा के स्वत्वधारी	प्ररूप-च-1
3.	धारा 6 की उप-धारा (3) के खण्ड (ख) के उप-खण्ड (iii) के उपबंधों के अनुसार कर के संदाय के लिए अनुज्ञात मनोरंजन के स्वत्वधारी	प्ररूप-ज

(2) किसी विवरणी को ग्रहण नहीं किया जायेगा जहां स्वत्वधारी ने,-

(i) पूर्ववर्ती मास (मासों) के लिए विवरणियां नहीं दी है; और

(ii) मनोरंजन कर के संदाय का सबूत प्रस्तुत नहीं किया है।"

9. नियम 18ख का हटाया जाना.- उक्त नियमों का विद्यमान नियम 18ख हटाया जायेगा।

10. नियम 18खख का हटाया जाना.- उक्त नियमों का विद्यमान नियम 18खख हटाया जायेगा।

11. नियम 18खखख का हटाया जाना.- उक्त नियमों का विद्यमान नियम 18खखख हटाया जायेगा।

12. नियम 18खखखख का हटाया जाना.- उक्त नियमों का विद्यमान नियम 18खखखख हटाया जायेगा।

13. नियम 18खखखखख का हटाया जाना.- उक्त नियमों का विद्यमान नियम 18खखखखख हटाया जायेगा।

14. नियम 33 का हटाया जाना.- उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान नियम 33 हटाया जायेगा।

15. नियम 35 और नियम 36 का अन्तःस्थापन.- उक्त नियमों के विद्यमान नियम 34 के पश्चात्, निम्नलिखित नये नियम 35 और 36 जोड़े जायेंगे, अर्थात्:-

"35. ई-गवर्नेंस से संबंधित उपबंध.- (1) इन नियमों में किसी बात के होने पर भी, आयुक्त वह तारीख अधिसूचित कर सकेगा जिसको स्वत्वधारी द्वारा कोई विवरणी, आवेदन, संसूचना या प्रज्ञापना वाणिज्यिक कर विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से इलेक्ट्रोनिक रूप से उसमें उपबंधित रीति में प्रस्तुत की जायेगी। विभिन्न प्रयोजनों के लिए आयुक्त द्वारा विभिन्न तारीखें अधिसूचित की जा सकेंगी।

(2) जहां नोटिस, संसूचना या प्रज्ञापना विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से इलेक्ट्रोनिक रूप से स्वत्वधारी पर तामील की जाती है, वहां उक्त नोटिस, संसूचना या प्रज्ञापना केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं समझी जायेगी कि यह व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षरित या डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित नहीं है या उचित रूप से तामील नहीं की गयी है।

(3) ई-गवर्नेंस को सुकर बनाने के लिए, आयुक्त नियमों में दी गयी प्रक्रिया को ऐसे विस्तार तक बदल सकता है जो संसूचना और संदाय के इलेक्ट्रोनिक रूप से असंगत या बेमेल हो और ऐसा बदलाव किसी

कार्रवाई को केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं बनायेगा कि यह इन नियमों के प्रक्रियात्मक उपबंधो के विपरीत है।

36. राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के उपबंधों का लागू किया जाना.– अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं.4) और तद्धीन बनाये गये नियम यथावश्यक परिवर्तन सहित ऐसे सभी मामलों या विवाद्यकों पर लागू होंगे जो अधिनियम को लागू करते समय उद्भूत हों।"

16. प्ररूप-ङ का हटाया जाना.– उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान प्ररूप-ङ हटाया जायेगा।

17. प्ररूप च का प्रतिस्थापन.– उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान प्ररूप-च के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"प्ररूप च

[नियम 18क देखिए]

सिनेमाहाल या मल्टीप्लेक्स में किसी माध्यम द्वारा फिल्म के प्रदर्शन द्वारा मनोरंजन के स्वत्वधारियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी

(प्रत्येक स्क्रीन के लिए पृथकतः प्रस्तुत की जाये)

1. मनोरंजन का नाम और स्थानः
2. मनोरंजन के स्थान का पताः
3. स्क्रीन संख्यांक / नामः
4. मास का नामः
5. संदेय मनोरंजन कर के ब्यौरेः

क्र. सं.	संपादन की तारीख	दिन की सकल प्राप्तियां	अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (4) के अनुसार अनुपूरक टिकटों का मूल्य	कुल (3+4)	संदेय मनोरंजन कर की रकम (5 का 30 प्रतिशत)	अभ्युक्तियां (यदि कर संदेय नहीं है)
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						

14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.	**कुल**					

टिप्पणः कृपया चल-चित्र का नाम और अधिसूचना विनिर्दिष्ट करें जिसके अधीन उपरोक्त सारणी के अभ्युक्ति स्तंभ में उपबंधित मनोरंजन कर के संदाय से छूट दी गयी है।

6. निक्षेप के ब्यौरेः

कर की शोध्य रकम	**निक्षिप्त रकम**	**निक्षेप की तारीख**	**ब्याज की रकम, यदि कोई हो**	**निक्षिप्त ब्याज की रकम**	**निक्षेप की तारीख**	**अभ्युक्तियां**

मैं सत्यापित करता हूँ कि ऊपर दी गयी जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के आधार पर सत्य और सही है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

स्थानः
तारीखः

हस्ताक्षर
स्वत्वधारी का नामः
मुद्राः"

18. प्ररूप च-1 का अन्तःस्थापन.- उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान प्ररूप छ के पूर्व और इस प्रकार प्रतिस्थापित प्ररूप च के पश्चात्, निम्नलिखित नया प्ररूप अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्ः-

"प्ररूप च-1

[नियम 18क देखिए]

वीडियो गेम पार्लर/ डायरेक्ट टू होम प्रसारण / केबल सेवा के स्वत्वधारी द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी

क्र. सं.	स्वत्वधारियों के वर्ग	समुचित खाने में चिह्न लगायें
1.	2.	3.
1.	वीडियो गेम पार्लर के स्वत्वधारी	
2.	डायरेक्ट टू होम प्रसारण सेवा के स्वत्वधारी	
3.	संबोधन प्रणाली या अन्यथा के साथ केबल सेवा के स्वत्वधारी	

1. स्वत्वधारी का नामः
2. स्वत्वधारी का स्थानीय और स्थायी पताः
3. कारबार का क्षेत्र (परिक्षेत्र इत्यादि के नाम सहित):
4. अनुज्ञप्ति / अनुज्ञा सं..... तारीख.....
5. मास का नामः
6. संदेय मनोरंजन कर के ब्यौरे

मास के दौरान प्राप्त सकल रकम	संदेय मनोरंजन की रकम	अभ्युक्तियां

7. निक्षेपों के ब्यौरेः

कर की शोध्य रकम	निक्षिप्त रकम	निक्षेप की तारीख	ब्याज की रकम, यदि कोई हो	निक्षिप्त ब्याज की रकम	निक्षेप की तारीख	अभ्युक्तियां

मैं सत्यापित करता हूँ कि ऊपर दी गयी जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के आधार पर सत्य और सही है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

स्थानः
तारीखः

हस्ताक्षर
स्वत्वधारी का नामः
मुद्राः"

19. प्ररूप-ज का संशोधन.- उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप-ज में विद्यमान अभिव्यक्ति "(नियम 18 देखिए)" के स्थान पर अभिव्यक्ति "(नियम 18क देखिए)" प्रतिस्थापित की जायेगी।

20. प्ररूप-इ का हटाया जाना.- उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप-इ, हटाया जायेगा।

21. प्ररूप-थ का प्रतिस्थापन.- उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान प्ररूप-थ के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"प्ररूप-थ

[नियम 17 देखिए]

मनोरंजन का संचालन करने की अनुज्ञा के लिए आवेदन

प्रेषिति,

सहायक आयुक्त/वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत्त.....,
जोन.....

मनोरंजन की युक्तियुक्त रीति को चिन्हित करें जिसके लिए स्वत्वधारी अनुज्ञा प्राप्त करना चाहता है।	सिनेमाहाल या मल्टीप्लेक्स में किसी माध्यम से फिल्मों के प्रदर्शन द्वारा मनोरंजन के स्वत्वधारी	
	वीडियो गेम पार्लर के स्वत्वधारी	
	डायरेक्ट टू होम प्रसारण सेवा के स्वत्वधारी	
	संबोधन प्रणाली या अन्यथा के साथ केबल सेवा के स्वत्वधारी	

1. स्वत्वधारी का नामः
2. कारबार के मुख्य स्थान का पताः
   (i) भवन सं. / नाम / क्षेत्रः
   (ii) नगर / शहरः
   (iii) जिलाः
   (iv) पिन कोडः
   (v) ई-मेल आई.डी.:
   (vi) वैकल्पिक ई-मेल आई.डी.(यदि कोई हो):
   (vii) मोबाइल नम्बरः
   (viii)दूरभाष नम्बर (यदि कोई हो):
   (ix) फैक्स नम्बर (यदि कोई हो):
3. स्वत्वधारी का स्थायी खाता संख्यांक (पैन):
4. मनोरंजन के प्रारंभ की तारीखः
5. दी गयी प्रतिभूतियों के ब्यौरेः

   क. राष्ट्रीय बचत पत्र में दी गयी प्रतिभूतियों की दशा में, उसके ब्यौरे.-

क्र.सं.	रकम	राष्ट्रीय बचत पत्र	परिपक्वता की तारीख
(i)			
(ii)			
(iii)			

   ख. बैंक गारंटी द्वारा दी गयी प्रतिभूतियों की दशा में, उसके ब्यौरे,-

(i)	बैंक गारंटी की रकम	
(ii)	बैंक गारंटी की प्रभावी कालावधि	
(iii)	बैंक का नाम और शाखा का पता	

6. बैंक खाते के बारे में सूचना

(i)	बैंक का नाम	
(ii)	शाखा का नाम और पता	
(iii)	खाता सं.	
(iv)	खाते का प्रकार	
(v)	शाखा का आई.एफ.एस.सी. कोड	

सत्यापन

मैं,.....स्वत्वधारी .....घोषित और सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त विशिष्टियां सत्य और सही है और इसमें कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

स्थानः हस्ताक्षर
तारीखः स्वत्वधारी का नामः
मुद्राः "

22. प्ररूप-ध-5 का हटाया जाना.- उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान प्ररूप-ध-5 हटाया जायेगा।

23. प्ररूप-ध-6 का हटाया जाना.- उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान प्ररूप-ध-6 हटाया जायेगा।

24. प्ररूप-ध-7 का हटाया जाना.- उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान प्ररूप-ध-7 हटाया जायेगा।

[एफ.12(59)वित्त/कर/2014-89]
राज्यपाल के आदेश से,

आदित्य पारीक,
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 30 जुलाई, 2014

एस.ओ.117.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ संख्यांक 2 में विनिर्दिष्ट किसी संगम या स्टाक एक्सचेंज के माध्यम से किसी व्यापारिक सदस्य द्वारा कार्यान्वित संव्यवहार के अभिलेख (इलेक्ट्रोनिक या अन्यथा) के प्रवर्गों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क घटाया जायेगा और उक्त सारणी के स्तम्भ संख्यांक 3 में उनके प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट दरों पर प्रभारित किया जायेगाः-

क्र. सं.	संव्यवहार के अभिलेख का विवरण	स्टाम्प शुल्क की दर
1	2	3
1.	संव्यवहार का अभिलेख यदि सरकारी प्रतिभूतियों से भिन्न प्रतिभूतियों के क्रय या विक्रय से संबंधित हो- अपरिदान के मामलों में	प्रतिभूति के मूल्य का 0.0025 प्रतिशत।
2.	संव्यवहार का अभिलेख यदि विकल्प व्यापार से संबंधित हो-	
	(i) जहां विकल्प का प्रयोग नहीं किया गया है	प्रतिभूति के मूल्य का 0.0020 प्रतिशत।
	(ii) जहां विकल्प का प्रयोग किया गया है	प्रतिभूति के मूल्य का 0.01 प्रतिशत।
3.	संव्यवहार का अभिलेख यदि प्रतिभूतियों में फ्यूचर्स के विक्रय से संबंधित हो।	प्रतिभूति के मूल्य का 0.001 प्रतिशत।
4.	संव्यवहार का अभिलेख यदि किसी संगम के माध्यम से या अन्यथा व्यापार की गयी गैर-कृषिक वस्तुओं की अग्रिम संविदाओं से संबंधित हो।	अग्रिम संविदा के मूल्य का 0.001 प्रतिशत।
5.	संव्यवहार का अभिलेख यदि किसी संगम के माध्यम से या अन्यथा व्यापार की गयी कृषिक वस्तुओं की अग्रिम संविदाओं से संबंधित हो।	अग्रिम संविदा के मूल्य का 0.0005 प्रतिशत।

[एफ.4(15)वित्त/कर/2014-90]
राज्यपाल के आदेश से,

अपूर्व जोशी,
उप शासन सचिव